केस स्टडी-03/2026

जारी तिथि : 20.01.2026

SPAD

घटनाक्रम: दिनांक 14.01.2026 को, पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में ट्रैन नं. JNPT/BLC, लोको नं 32249/WAG-9/BJU, सेक्शन: गुर्रा-इटारसी (GRO–ET), जो सिंगल डिस्टेंट टेरिटरी है, में कार्य करते समय IBH-226 (गुर्रा-इटारसी) डिस्टेंट सिग्नल एक पीला दिखा, लोको पायलट ने गाडी को कण्ट्रोल किया और 34 Kmph की गति से पास किया, जिसे बाद में घटाकर लगभग 15 Kmph कर लिया। हालांकि, बाद में स्पीड को 50 Kmph तक बढ़ा लिया, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पिछला सिग्नल पीला था और अगला सिग्नल (IB) लाल में हो सकता है। IB सिग्नल को लाल देखकर, लोको पायलट ने 50 Kmph की गति पर इमरजेंसी ब्रेक लगाया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, परिणामस्वरूप ट्रेन 18:49 बजे IBH-226 सिग्नल, को **'ऑन'** स्थिति में 50 Kmph की गति से पार कर, 265 मीटर आगे जाकर (लगभग 17- 18 वैगन पार करके) रुकी।

संभावित कारण:

- ✓ कर्मीदल का ड्यूटी के दौरान सतर्क न होना व सिगनल के संकेत की अवहेलना करना।
- ✓ एक पीला संकेत पार करने के बाद अगला सिगनल बिना देखें गाड़ी की गति को बढ़ाना।
- ✓ एक पीला सिगनल पार करने के बाद अन्य कार्य में व्यस्त होना।
- ✓ एक पीला सिगनल पार करने के बाद, लोको पायलट द्वारा स्पीड बढ़ाने पर भी ALP द्वारा RS वाल्व को ऑपरेट न करना।
- ✓ इंजन कर्मीदल द्वारा सिगनल कॉल आउट, नियमानुसार तरीके से न करना।
- ✓ सहायक लोको पायलट द्वारा लोको पायलट की गतिविधियों पर ध्यान न देना।

उपरोक्त घटना से सबक:

- कर्मीदल को "एक पीला" सिग्नल दिखने पर अगला सिग्नल लाल ही होगा व सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहना चाहिये, कभी भी यह मानकर न चलें कि अगला सिग्नल ऑफ ही होगा या हो जाएगा
- गाड़ी संचलन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त न रहें एवं पूरा ध्यान सिग्नल के संकेतो पर केंद्रित तथा गाड़ी संचालन पर रखें।
- सभी लोको पायलट व सहायक लोको पायलट को निर्देश दिये जाते हैं कि दो पीला (YY) व एक पीला (Y) सिग्नल पर निर्धारित की गई गति का कड़ाई से पालन करें, यदि ट्रेन की गति, तय गति से ज़्यादा होने पर सहायक लोको पायलट को तुरंत RS वाल्व खोल देना चाहिए ।सहायक लोको पायलट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोको पायलट, आवश्यक रूप से सिग्नल के संकेतानुसार गाड़ी की गति को नियंत्रित कर रहा है या नहीं।
- सिग्नल एक पीला दिखने पर ALP खड़े होकर RS वाल्व पर हाथ रखें (एक पीला सिग्नल से गाड़ी रुकने तक)। व आवश्यकता पड़ने पर समय रहते RS वाल्व खोल दें।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

(गौरव कु. श्रीवास्तव)
वरि.मं. व.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।